रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102024-257813
CG-DL-E-12102024-257813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4035] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946
No. 4035] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4398(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन गठित 'राज्य भार प्रेषण केंद्र अनसडयूलड इंटरचेंज निधि - पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड' (पैन : AAIAS0980J) को उस ट्रस्ट को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात :

(क) अनसडयूलड इंटरचेंज पूल बैलेंस खाते में अवशिष्ट धन राशि;

(ख) अनसडयूलड इंटरचेंज से संबंधित अथवा आकस्मिक आय; और

(ग) सावधि जमा और ऑटो-स्वीप खातों पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राज्य भार प्रेषण केंद्र अनसडयूलड इंटरचेंज निधि - पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (पैन : AAIAS0980J) –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 से संगत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 107 /2024/फा. सं. 300196/4/2024-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4398(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'State Load Despatch Centre Unscheduled Interchange Fund- West Bengal State Electricity Transmission Company Limited (PAN: AAIAS0980J), constituted under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) in respect of the following specified income arising to that trust, namely:

(a) Residual money in the unscheduled interchange pool balance account;

(b) Income incidental to or related to unscheduled interchange; and

(c) Interest on fixed deposits and auto-sweep accounts.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the State Load Despatch Centre Unscheduled Interchange Fund- West Bengal State Electricity Transmission Company Limited (PAN: AAIAS0980J)-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2023-2024 and 2024-2025 relevant for the financial years 2022-2023 and 2023-2024 respectively.

[Notification No. 107 /2024/F. No. 300196/4/2024-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director ITA-I

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.12 14:59:56 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102024-257814
CG-DL-E-12102024-257814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4036] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946
No. 4036] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4399(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड', गांधीनगर (पैन AAALG5041P), जो कि गुजरात सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, आर्थात :

(क) सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान;

(ख) गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड अधिनियम, 1978/गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सेंटेज;

(ग) स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों/उद्योगों से एकत्रित जल शुल्क (गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ);

(घ) पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान से प्राप्तियां;

(ङ) अन्य आय जैसे जांच शुल्क, किराया शुल्क, निविदा अनुसूची की बिक्री और गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड अधिनियम, 1978 के तहत प्राप्त किराया; और

(च) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड', गांधीनगर–

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 से संगत निर्धारण वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी और यह वित्तीय वर्षों 2023-2024, 2024-2025 और 2025-2026 के लिए क्रमशः प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 108 /2024/फा. सं. 300196/15/2021-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4399(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Gujarat Water Supply and Sewerage Board', Gandhinagar (PAN: AAALG5041P), a Board constituted by the Government of Gujarat in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

(a) Grant received from Government, Local Bodies and Other Government Agencies;
(b) Centage at rates prescribed by the Gujarat Water Supply and Sewerage Board Act, 1978/Government of Gujarat;
(c) Water charges (tariff fixed by the Government of Gujarat) collected from local bodies/village panchayats/ industries;
(d) Receipts from Pension and gratuity contribution;
(e) Other incomes such as investigation charges, Hire Charges, Sale of Tender Schedule and Rent received under the Gujarat Water Supply and Sewerage Board Act, 1978; and
(f) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Water Supply and Sewerage Board, Gandhinagar-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-2023 and 2023-2024 relevant for the financial years 2021-2022 and 2022-2023 and shall be applicable for assessment years 2024-2025, 2025-2026 and 2026-2027 relevant for the financial years 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026 respectively.

[Notification No. 108 /2024/ F. No. 300196/15/2021-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director ITA-I

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.12 14:57:05 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102024-257815
CG-DL-E-12102024-257815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4037] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946
No. 4037] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4400(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत गठित एक प्राधिकरण 'रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली (पैन : AAALR1691Q)' को उस प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:

(क) सरकार से अनुदान सहायता या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डरों/डेवलपर्स, एजेंटों या किसी अन्य हितधारकों से प्राप्त शुल्क/जुर्माना; और

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 से संगत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 109 /2024/फा. सं. 300196/57/2018-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4400(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Real Estate Regulatory Authority, New Delhi (PAN AAALR1691Q)' an Authority constituted under sub-section (1) of Section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

(a) Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;
(b) Fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016; and
(c) Interest earned on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the 'Real Estate Regulatory Authority, New Delhi –

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of Section 139 of the Income-tax Act, 1961;

3. This notification shall be applicable for the financial years 2018-2019 to 2022-2023 relevant to assessment years 2019-2020 to 2023-2024 respectively.

[Notification No. 109 /2024/F. No. 300196/57/2018-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director ITA-I

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.12 14:53:20 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102024-257816
CG-DL-E-12102024-257816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4038] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946
No. 4038] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4401(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' को, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित, उस निकाय को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में 'निकाय के वर्ग' के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा

(ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमश: वित्तीय वर्षों 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 एवं 2027-2028 से संगत निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए लागू मानी जाएगी।

अनुसूची

क्रम सं. **(1)**	**प्राधिकरण का नाम** **(2)**	**पीएएन** **(3)**
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक	AAAGC0050M
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुना नगर	AAALD1012D
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल	AAALD1000D
4	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर	AAAGC0059C
5	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी	AAAGD0044A
6	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत	AAAGD0077R
7	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल	AAALC0928M
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला	AAAGD0075P
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा	AAALD1006F

[अधिसूचना सं. 110 /2024/फा. सं. 300196/64/2018-आईटीए-I (पार्ट-1)]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4401(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'District Legal Service Authority' as specified in the Schedule to this notification, constituted by Government of Haryana for every District in the State of Haryana in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Legal Services Authorities

Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), as a 'class of body' in respect of the following specified income arising to that body, namely:—

(a) Grants received from the Punjab and Haryana High Court, Central Authority i.e. National Legal Services Authority and State Authority i.e. Haryana State Legal Services Authority for the purposes of the Legal Services Authorities Act, 1987;

(b) Grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987;

(c) Amount received under the order of the Court;

(d) Fee received as recruitment application fee; and

(e) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that each of the District Legal Service Authority-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for assessment years 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 and 2028-2029 relevant for financial year 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 and 2027-2028 respectively.

SCHEDULE

S. No. **(1)**	**Name of the Authority** **(2)**	**PAN** **(3)**
1	District Legal Service Authority, Rohtak	AAAGC0050M
2	District Legal Service Authority, Yamunanagar	AAALD1012D
3	District Legal Service Authority, Narnaul	AAALD1000D
4	District Legal Service Authority, Jhajjar	AAAGC0059C
5	District Legal Service Authority, Rewari	AAAGD0044A
6	District Legal Service Authority, Sonipat	AAAGD0077R
7	District Legal Service Authority, Kaithal	AAALC0928M
8	District Legal Service Authority, Ambala	AAAGD0075P
9	District Legal Service Authority, Sirsa	AAALD1006F

[Notification No. 110 /2024/F. No. 300196/64/2018-ITA-I (Pt.1]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA